

9.	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य।	9.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य।
			10.	प्रमुख सचिव, सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य।
			11.	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य।
वर्तमान प्रस्तर-23			प्रस्तावित संशोधित प्रस्तर-23		
नियम-23					
साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिये कमशः ग्यारह एवं पाँच सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।			साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिये कमशः ग्यारह एवं छः सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।		

2- उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के गठन विषयक शासनादेश संख्या-2978/38-4-03-10पीएमजीएसवाई/03, दिनांक-15.11.2003 द्वारा अनुमोदित स्मृति-पत्र/नियमावली उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या- १२२७ (१)/अड़तीस-९-२०१६, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-2709/ए-321/यू०पी०आर०आर०डी०ए०/2015, दिनांक-30.12.2015 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधन से कार्यालय निबन्धक समितियों को अवगत कराते हुये यथोचित कार्यवाही तत्काल कराने का कष्ट करें।
- 5- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
- 6- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
- 8- वित्त नियंत्रक, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
- 9- विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग उ०प्र० शासन।
- 10- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।